

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक.....

पत्रांक:-..... /

स०स०-०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रेषक :

एस० सिद्धार्थ,  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार\*।

विषय :- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कुल ₹२३५५३.०० लाख (दो सौ पैतीस करोड़ तिरपन लाख) मात्र के सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या-१२३१, दिनांक-२८.०३.२०१६ के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं के लिये यथा वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में कुल ₹२३५५३.०० लाख (दो सौ पैतीस करोड़ तिरपन लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

२. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि/प्रवेश-कर की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को वाणिज्यकर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्ति/प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति देय है। वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वित्त- वाणिज्य-कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

३. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष २८५२ उद्योग, उँप मुख्य शीर्ष ८०- सामान्य, लघु शीर्ष १०२-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या २३, उप शीर्ष ०१६०-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P२८५२८०१०२०१६०, राज्य योजना स्कीम कोड IND-५४३२, विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी मद से ₹१८३५१.०० लाख (एक सौ तेरासी करोड़ एकावन लाख) मात्र एवं मुख्य शीर्ष २८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष ८०- सामान्य, लघु शीर्ष ७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या २३, उप शीर्ष ०१०२-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P२८५२८०७८९०१०२, राज्य योजना स्कीम कोड IND-५४२८, विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी मद से ₹५०७०.०० लाख (पचास करोड़ सत्तर लाख) मात्र तथा मुख्य शीर्ष २८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष ०८- उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष ७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या २३, उप शीर्ष ०१०१-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P२८५२०८७९६०१०१, विषय शीर्ष ३३ ०१ सब्सिडी मद से ₹१३२.०० लाख (एक करोड़ बत्तीस लाख) मात्र बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के राज्य योजना आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध है।

४. वैट की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना को की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को आवंटित करेंगे।

५. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग होंगे जो वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री-कर/संशोधन-०५/२००६- /८८/CCI पटना दिनांक २१.०९.२००७ में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक ८२४४ दिनांक ०२.०८.१० का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

६. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-४२६३ वि० दिनांक-२०.०५.२०१४ द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

७. इस योजना अंतर्गत वैट की जमा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः पृष्ठ-०२...

8. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्ध्य के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।
9. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2016 के मद संख्या-14 में स्वीकृति संचिकासंख्या-03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति)-02/2015 के पृष्ठ 124/टि0 पर प्राप्त है।
10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति)-02/2015 के पृष्ठ-128/टि0 पर दिनांक 11.07.16 को प्राप्त हैं जिसका डायरी संख्या-163/OSD दिनांक-08.07.16 है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.06.98 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के दिशा निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:-सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:- वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ0नि0/योजना(औ0प्र0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11/07/16  
(एस0 सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
11.7.16